

## प्रस्तावना (PREAMBLE)

### प्रस्तावना का महत्व

1. प्रस्तावना इस बात की घोषणा करती है कि भारत में शांति का अन्तिम स्थायी भारत की आम जनता होगी।  
जैसे - हम भारत के लोग।
2. प्रस्तावना यह स्पष्ट होता है कि भारत की संविधान को इस देश की जनता ने बनाया है। और स्वीकार भी किया है। जैसे - अंगीकृत, अविनियमित, आत्मार्पित।
3. प्रस्तावना हमारे शासन के स्वरूप को स्पष्ट करती है। जैसे - प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवाद, पंचांगरेष्यता, लोकतंत्र और गणतंत्र।
4. प्रस्तावना हमारे समस्त कुछ आदर्शों को रखती है। जिसे प्राप्त करना हमारे शासन व्यवस्था का लक्ष्य होगा। जैसे - न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्म की गरिमा व-कुल इत्यादि।
6. चूंकि लिखित संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है। अतः प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में मदद करता है।

6. भारतीय संविधान 26 Nov 1949 को स्वीकार किया गया था। इसकी जानकारी प्रस्तावना में ही मिली थी।

एम सुंगी (कृ-हेगा लाल मुंशी) के अनुसार -  
"प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपुत्री है"  
जिस प्रकार एक जन्मपत्री व्यक्ति की उमर  
अविष्य की संपरखा देती है। उसी प्रकार भारतीय  
संविधान की प्रस्तावना भारत देश के अविष्य  
की संपरखा पैदा करती है। यह बतानी है -  
कि भारत देश - लोकतंत्रात्मक, पंचपरिषद,  
समाजवादी, -मात्रवादीवादी इत्यादि होगा।

ठाकुर दास आर्य - के अनुसार -

"प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।"

जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई  
महत्व नहीं है उसी प्रकार संविधान के अंगों  
जैसे - प्राथ, स्वतंत्रता, समानता के बिना  
संविधान के का कोई महत्व नहीं है।

न्यायधुरी जनेरु गडकर के अनुसार -

"अव्यपि प्रस्तावना से झूलन करने की कोई  
विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती लेकिन प्रस्तावना  
संविधान निर्माताओं के मसिख को समझने  
की कुंजी है।"

जिस प्रकार कुंजी ताल को खोलती है उसी  
प्रस्तावना संविधान की कुंजी को खोलने  
सुवधानी है।